



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

29 दिसंबर 2023

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
3 जनवरी 2024	4 जनवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
10 जनवरी 2024	11 जनवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
17 जनवरी 2024	18 जनवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
24 जनवरी 2024	25 जनवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
31 जनवरी 2024	1 फरवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
7 फरवरी 2024	8 फरवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
14 फरवरी 2024	15 फरवरी 2024	8,000	10,000	9,000	27,000
21 फरवरी 2024	22 फरवरी 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
28 फरवरी 2024	29 फरवरी 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
6 मार्च 2024	7 मार्च 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
13 मार्च 2024	14 मार्च 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
20 मार्च 2024	21 मार्च 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
27 मार्च 2024	28 मार्च 2024	10,000	15,000	9,000	34,000
कुल		1,16,000	1,60,000	1,17,000	3,93,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1581

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक